लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3652

उत्तर देने की तारीखः 10.08.2021

राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद

3652.श्री ई.टी. मोहम्मद बशीरः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद से हाल ही में सिफारिश प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां,तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ग) परिषद द्वारा कौन-कौन सी बड़ी चुनौतियां या परिवर्तन चिन्हित किए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क), (ख) और (ग): राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एनपीओपी) के अनुसरण में नीति के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण और बुजुर्गों के लिए नीति और कार्यक्रमों की तैयारी तथा कार्यान्वयन में सरकार को परामर्श देने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में वर्ष 1999 में राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद (एनसीओपी) का गठन किया गया। वर्ष 2012 में प्रत्येक क्षेत्र में, अधिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एनसीओपी का पुनर्गठन किया गया और इसे राष्ट्रीय परिषद (एनसीएसआरसी) के रूप में पुनःनामित किया गया। परिषद की तीसरी बैठक 13 जून, 2018 को हुई। एनसीएसआरसी की तीसरी बैठक में विचार-विमर्श के मुद्दों में डीओएसजेई के अतिरिक्त विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु चलाए जा रहे विचार-विमर्श शामिल था। तीसरी बैठक में परिषद की सिफारिशों और चुनौतियों तथा सरकार द्वारा उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा इस प्रकार है:

(i) **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण (एमडब्ल्यूपीएससी) अधिनियम, 2007 में संशोधन:**

<u>सिफारिश</u>: परिषद ने अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे सुदृढ़ करने का सुझाव दिया।

<u>स्थिति/की गई कार्रवाई</u>: एनसीएसआरसी सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने दिनांक 11.12.2019 को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा में प्रस्तुत किया है।

(ii) **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई):**

<u>सिफारिश</u>: परिषद ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में और अधिक वितरण शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया।

स्थिति/की गई कार्रवाई: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए आरवीवाई स्कीम का संशोधन किया।

(iii) **वरिष्ठ नागरिकों के लिए समेकित कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) की संशोधित स्कीम:**

सिफारिश: परिषद सदस्य ने सुझाव दिया कि एनजीओ के आनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और स्वैच्छिक संगठनों की पैनलबद्धता को अनिवार्य बनाया जाए।

स्थिति/की गई कार्रवाई: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एनजीओ की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए सरल ऑनलाइन एनजीओ पोर्टल नामत: ई-अनुदान (https://grants.msje.gov.in)चला रहा है। अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए एनजीओ के लिए पीएफएमएस में नीति आयोग के दर्पण पोर्टल और व्यय अग्रिम तथा अंतरण (ईएटी) पर पैनलबद्ध होना अनिवार्य है।

(iv) **वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ)**

सिफारिश: परिषद का विचार था कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो कैंसर के मरीज हैं, उन्हें एससीडब्ल्यूएफ से वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

स्थिति/की गई कार्रवाई: भारत सरकार राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) के माध्यम से पहले ही कैंसर के मरीजों को 2 लाख रुपए तक (आपात स्थिति में 5 लाख रुपए तक) वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

(v) **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत वित्तीय सहायता:**

सिफारिश: परिषद को अवगत कराया गया कि पेंशन राशि, लाभार्थियों की पहचान आदि जैसी आईजीएनओएपीएस की विशेषताओं में संशोधन किया जा रहा है।

स्थिति/की गई कार्रवाई: ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) कार्यान्वित करता है, जिसके अंतर्गत आईजीएनओएपीएस के अधीन बीपीएल वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत पेंशन में केन्द्रीय अंशदान 79 वर्ष तक प्रति लाभार्थी प्रतिमाह 200/- रुपए और 80 वर्ष से प्रति लाभार्थी प्रतिमाह 500/- रुपए है तथा राज्य सरकारें इस राशि से अधिक अंशदान दे सकती हैं। वर्तमान में, राज्य अंशदान के अनुसार वृद्ध लाभार्थी 200/- रुपए से 1000/- रुपए तक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। बीपीएल परिवार में 60 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हैं।

(vi) **वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा**

सिफारिश: परिषद का सुझाव था कि जो संघ राज्य क्षेत्र केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय के जो सीधे नियंत्रण में हैं उन्हें संघ राज्य क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने में सक्रिय कदम उठाने चाहिए।

स्थिति/की गई कार्रवाई: गृह मंत्रालय ने "राष्ट्रीय वृद्धजन नीति का कार्यान्वयन"और "वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा"पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शिका जारी की है। ये परामर्शिकाएं www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(vii) **रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं:**

<u>सिफारिश</u>: परिषद ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए हवाई किराए में रियायत और 2-टायर नॉन-एसी रेलगाडियां आरंभ करने का सुझाव दिया।

<u>स्थिति/की गई कार्रवाई</u>: रेलवे मंत्रालय ने स्लीपर क्लास में प्रति कोच छह (6) और एसी-3-टायर तथा एसी-2 टायर प्रत्येक में प्रति कोच तीन (3) निचले बर्थ वरिष्ठ नागरिकों के लिए उद्दिष्ट किए हैं। मेल/एक्सप्रेस/राजधानी/जन शताब्दी/दुरंतो रेलगाडियों की सभी श्रेणियों में पुरुष वरिष्ठ नागरिकों को 40%छूट और 58 वर्ष तथा इससे अधिक की महिला वरिष्ठ नागरिकों को 50% की छूट दी जाती है।

(viii) **अंतर-पीढ़ी अंतराल का पाटन:**

<u>सिफारिश</u>: परिषद ने स्कूल पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम के भाग के रूप में अंतर पीढ़ी संबंधों पर अनिवार्य काउंसलिंग सत्र के समावेशन का सुझाव दिया।

<u>स्थिति/की गई कार्रवाई</u>: राष्ट्रीय शैक्षविक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) पाठ्यक्रम में संगत विषयों को शामिल करने के लिए समय-समय पर पाठ्यचर्या के संशोधन पर विचार करती है। मानव संसाधन मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय)/एनसीईआरटी ने परिषद को सूचित किया कि चूंकि अंतर पीढ़ी संबंध एक सामाजिक मामला है और आज के समय में यह संगतिपरक है, पाठ्यक्रम में संगत संदर्भ के समावेशन पर विचार किया जाएगा।

******